सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 15, शुक्रवार, शाके 1944-अक्टूबर 07, 2022 *Asvina 15, Friday , Saka 1944- October 07, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, सितम्बर 29, 2022

एस.ओ.96 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(32)वित्त/कर/2018-12 दिनांक 22.07.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 22, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों जैसे अमृत, स्मार्ट सिटी परियोजना इत्यादि के निष्पादन के लिए राजस्थान नगरीय विकास निधि-।। (आरयूडीएफ-।।) से ऋण सहायता के संबंध में राजस्थान राज्य के विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों और नगरपालिकाओं के पक्ष में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको) द्वारा निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

सं.प.2(32)वित्त/कर/2018-12

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव"।

Government Central Press, Jaipur.